न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 151/2018 **दायरा दिनांक : 26.11.2018**

उनवान

1— तेजसिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोथला, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

2— नारायण सिंह आत्मज उदय सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोथला, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

3— सजन सिंह आत्मज हरि सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोथला, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

4— मांगू सिंह आत्मज हरि सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोथला, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

5— श्याम सिंह आत्मज राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी कोथला, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— बद्री लाल प्रजापति आत्मज धूला, जाति कुम्हार, निवासी कसाई मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

2— बद्री बाई (शांतिबाई) पत्नी जगन्नाथ पुत्री धूला, जाति कुम्हार, निवासी डायमण्ड मैरिज हॉल के पास भैसोदामण्डी, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ .... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अशोक गूर्जर एवं श्री रमेश सीनी अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 44/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद धारा 88, 90, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोथला, तहसील पचपहाड की जमाबंदी संख्या 77 पर दर्ज आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 116 रकबा 5 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा आराजी अपीलांट नम्बर 1 व 2 के पिता एवं अपीलांट नम्बर 3 व 4 के पिता व अपीलांट नम्बर 5 के दादाजी उदय सिंह ने दिनांक 21.06. 1966 को कुल 99/– रूपये में रेस्पोडेंट के मृतक पिता धूला से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया इस आराजी पर कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है । दावा दर्ज किया जाकर पत्रावली के तारीख पेशी रेस्पोडेंट की तलबी हेतु नियत थी । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को यह मानते हुए कि वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है । प्रकरण खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्याय, विधान व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । निर्णय निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । रेस्पोडेंट ने भी वादी के वाद पर कोई आपत्ति नहीं की है और न ही कोई जवाबदावा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा होने पर ही निर्णय किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के प्रावधानों पर गौर नहीं किया है । रेस्पोडेंट नम्बर 2 जो कि वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार धूला की पुत्री है, को बद्री बाई के नाम से जानते थे किन्तु

उसका सही नाम शांति बाई है इसलिए रेस्पोडेंट नम्बर 2 का नाम बद्रीबाई (शांतिबाई) अपील मेमों में दर्ज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.08.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया । रेस्पोडेंट ने बहस में वाद अपंजीकृत दस्तावेज पर आधारित बताया व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

अपीलांट अपील के तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा है । अपंजीकृत, अपठनीय इकरारनामा विधि मान्य प्रमाण नहीं है । अतः अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा